खंड १ सं० २०

बिहार विधान सभा वाद्वृत्त

शुक्रवार, तिथि १७ मार्च १६५०

भारत के संविधान के रुपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा वेश्य में शुक्रवार तिथि १७ मार्च १६५० को ११ बजे पुर्वाह्न में माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्म्मा के सभापतित्व में हुआ।

THE BIHAR LEGISLATIVE ASSEMBLY DEBATES.

FRIDAY THE 17TH, MARCH 1950.

Proceedings of the Bihar Legislative Assembly assembled under the Provisions of the Constitution of India.

The Assembly met at Patna on Friday the 17th March 1950 at 11 A. M. the Hon'ble the Speaker, Mr. Vindhyeshwari Prasad Verma in the Chair.

Supersession by Nahipal Verma.

*116. Sri RAJ KISHORE SINHA: Will the Hon'ble Minister, Incharge of Education Department, be pleased to state—

(a) if it is a fact that Babu Nahipal Verma, a teacher has been allowed to supersede many of his colleagues whose records were better than him;

(b) if the answer to clause (a) be in the affirmative the action Government propose to take inthe matter;

(c) whether the Inspector of School concerned recommended for promotion of the abovementioned teacher;

(d) if the answer to clauses (a) and (b) in the affirmative whether Government propose to make any enquiry into the matter?

माननीय श्री बद्रीनाथ वर्मा: मैं चारो सवाल का जबाव एक ही साथ दूंगा Lower division से upper division में हर साल इस तरह से promotion हुआ करता है। D. P. I. और जितने Inspector of school है वे लोग मिलकर जितने candidates A. C. S. में होते है उनका confidential record को जांच करके एक लिस्ट तैयार करते है। जितनी vacancies साल के अन्दर होने वाली रहती है अन्दाज से उतने ही आदमियों की सूची तैयार करते है। इसीके मुताबिक promotion होता है। इसलिए कोई खास आदमी कितने लोगों को Supersede किया है यह कहना जरा मुश्किल है। जिन लोगों का promotion इस नियम के मुताबिक हुआ उनका नाम पढ़ कर सुना देता हूं।

(१) श्री रामदत्त प्रसाद।

(२) श्री गोवरधन झा।

(३) श्री मजलिस सदाम।

(४) श्री सैयद अफजल हुसैन।

(५) श्री सैयद धानी हैदर।

(६) श्री प्रेमतोश रुद्रा।

(७) उदित नारायण पाण्डे ।

(८) श्री बैजू साहू ।

(९) श्री रामलखन प्रसाद ।

(१०) श्री सर्वानन्द भट्टाचार्जी ।

(११) सुचन्द'सेन ।

(१२) श्री शंकर प्रसाद ।

(१३) श्री मौलवी मुहम्मद यूसुफ ।

(१४) श्री प्रफुल कमल सिन्हा ।

(१५) श्री नलनि बन्धु भौमिक ।

(१६) श्री जशोदा नन्द ।

(१७) श्री सैयद अब्दुल खालिक ।

(१८) श्री सिया वल्लभ सरण ।

(१९) श्री सैयद अब्दुल सतार ।

(२०) श्री जोगेश्वर प्रसाद ।

(२१) श्री तपेश्वर सिंह ।

(२२) श्री रघु·ाथ पाण्डे ।

(२३) श्री सैयद इजहार हुसैन ।

इनमें से कुछ लोगों का पीछे भी promotion हुआ है ।

श्री हरिनाथ मिश्रा : जितने लोगों का promotion हुआ क्या सरकार उनका नाम बता सकती है ।

माननीय श्री बद्रीनाथ वर्मा : जितने लोगों का promotion हुआ उनके नाम ये हैं ।

सन् १९४८ में।

(१) श्री प्रभास चन्द्र राय।

(२) श्री केदार नाथ वर्मा।

(३) श्री सैयद मुहम्मद अहसन।

(४) श्री कृष्टपाल कच्छप।

(५) श्री मुस्ति विजय धान।

(६) श्री सुर्य नारायण सिंह।

(७) श्री मनमोहन प्रसाद।

(८) श्री प्रीतम भासिंह सथावन।

(९) श्री डमड़ी राम।

(१०) श्री मौलवी हबीबुल हसन।

(११) श्री रास बिहारी राय।

(१२) श्री महिपाल वर्मा।

(१३) श्री आरति नाथ झा।

(१४) श्री देवनारायण सिंह।

(१५) श्री दीप नारायण सिंह।

(१६) श्री जानकी प्रसाद।

(१७) श्री रघुनाथ साही।

(१८) श्री विश्वनाथ गुप्ता।

सन् १९४९ में।

(१) श्री प्रेमतोष रुद्रा।

(२) श्री उदित नारायण पाण्डे।

(३) श्री बैजू साहु।

(४) श्री मुक्तिनाथ चौधरी।

(५) श्री रामलक्ष्मण प्रसाद।

(६) श्री सर्वानन्द भट्टाचार्जी।

(७) श्री जशोदा नन्दन।

(८) श्री सिया बल्लभ सरण।

(९) श्री रघुनन्दन पाण्डे।

(१०) श्री राम जीवन प्रसाद।

(११) श्री रामेश्वर प्रसाद।

(१२) श्री कृष्णदेव नारायण।

(१३) श्री हरिचरण मेहता।

श्री राजकिशोर सिन्हा : क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि D. P. I. और Inspectors of schools मिल कर promotion के लिये जिन जिन व्यक्तियों का नाम चुनते हैं उनमें से जिनका एक साल selection नहीं होता है उनके लिए दूसरे साल विचार किया जाता है या नहीं ?

माननीय श्री बद्रीनाथ वर्मा : कायदा यह है कि सब लोगों पर एक साथ विचार किया जाता है।

श्री प्रभुनाथ सिंह : कितने आदमियों ने superseed किया है इसका लिस्ट आप के पास है।

माननीय श्री बद्रीनाथ वर्मा: ये बताना मुश्किल है कि कितने आदमियों ने कितने आदमियों को superseed किया है इसका list हमारे पास नहीं है।

श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या इसमें sinior भी चुने गये थे। मालूम होता है कि रूल को strictly follow नहीं किया गया था।

माननीय श्री बद्रीनाथ वर्मा : Rule के मुताबिक D.P. I. और Inspeator of schools सब कार्य को देख कर फैसला करते हैं। जरूर बाबू महिपाल वर्मा के रेकर्ड को देखकर और दूसरी बातों को देखकर फैसला किया गया होगा।

सरदार हरिहर सिंह : क्या ये लोग बैठकर जिसको चाहते हैं promossion दे देते हैं।

माननीय श्री बद्रीनाथ वर्मा : उन्हीं लोगों का परमोशन होता है जो इस काबिल होते हैं। siniority का भी ख्याल जरुर रखा जाता है, क्यों कि आगे चलकर उनको इन्सपेक्टर और हेडमास्टर बनाया जाता है। काबिलियत का भी ख्याल किया जाता है। इस विभाग में सारी बातों को ख्याल करके परमोशन दिया जाता है। सबलोग मौजूद रहते हैं और सबकी राय ली जाती है, तब कहीं जाकर लिस्ट तैयार किया जाता है।

श्री अमिय कुमार घोष: जिस साल महिपाल वर्मा का Appointment हुआ था, उस साल D.P. I. और Inspectors of schools ने in order of merit list तैयार किया था।

माननीय श्री बद्रीनाथ वर्मा : उस साल १८ आदमी कानाम लिस्ट में था।

श्री अमिय कुमार घोष : क्या ये नाम रूल के मुताबिक D. P. I. और Inspector of school ने १८ आदमियों का नाम चुना था।

माननीय श्री बद्रीनाथ वर्मा : नामों का लिस्ट Government के पास नहीं आती है। इसलिए के रूल के मुताबिक strictly follow किया जाता है।

श्री जमुना राम : महिपाल वर्मा की उम्र क्या है ?

माननीय श्री बद्रीनाथ वर्मा : उम्र तो ठीक नहीं बतला सकते हैं लेकिन अन्दाजा ४५-४६ के करीब होगा।

माननीय अध्यक्ष : अब प्रश्न का समय समाप्त हुआ।